

28 मार्च, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-17

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 15)

जबकि, मैं जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), ने इलिनॉय के गवर्नर, के प्राधिकार से कोरोना वायरस बीमारी 2019 (COVID-19) के प्रकोप के प्रतिक्रिया स्वरूप 9 मार्च 2020 (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) को राज्य की सभी काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित किया है; और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 को एक वैश्विक महामारी के रूप में अभिलक्षित किया था; और,

जबकि, रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित महत्वपूर्ण राहत उपायों की सिफारिश करता है, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फीट की दूरी बनाए रखनी होती है, और हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य के लिए यह आवश्यक और उचित है कि इस COVID-19 प्रकोप के जवाब में राज्य के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए तुरंत उपाय करें; तथा,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2020-10 अनिवार्य करता है कि आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों और आवश्यक व्यवसायों और संचालनों के अलावा इलिनॉय के रहिवासी घर पर ही रहें; तथा,

जबकि, भांग विनियमन और आयकर अधिनियम के अनुसार, 410 ILCS 705, और लागू होने वाले विनियमों, शीर्षक 8, इलिनोइस प्रशासनिक संहिता की धारा 1300, कई आगामी लाइसेंस आवेदन समय सीमा में व्यक्ति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है; तथा,

जबकि, इलिनॉय राज्य के लिए यह आवश्यक और उचित है कि वह इस COVID-19 के प्रकोप के जवाब में जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरंत उपाय करे;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), और 7(12), और 20(3305) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुभाग 1. कैनाबिस विनियमन और कर अधिनियम (कैनबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट) में आवेदन जमा करने की समय सीमा और 16 मार्च, 2020 तक आवेदन जमा करने के लिए नियमों को लागू करना, जिन्हें पहले कार्यकारी आदेश 2020-03 के अनुसार निलंबित कर दिया गया था और 30 मार्च, 2020 तक विस्तारित किया गया था, इस प्रकार से निलंबित कर दिया गया है:

- a. 16 मार्च, 2020, शिल्प उत्पादक लाइसेंस के आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा, शीर्षक 8 के अनुसार, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता की धारा 1300.300(b) के तहत जिसे कार्यकारी आदेश 2020-03 द्वारा 30 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया था उसे 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया जाता है;
- b. 16 मार्च, 2020, इनफ्यूज़र लाइसेंस आवेदन जमा करने की समय सीमा कैनाबिस विनियमन और कर अधिनियम की धारा 35-5 (b), 410 ILCS 705/35-5 (b) और शीर्षक 8, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता की धारा 1300.400 (बी) के अनुसार समय सीमा, जिसे कार्यकारी आदेश 2020-03 द्वारा 30 मार्च, 2020 तक विस्तारित किया गया था, को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया है; तथा
- c. 16 मार्च, 2020, ट्रांसपोर्टर लाइसेंस आवेदन जमा करने की समय सीमा कैनाबिस विनियमन और कर अधिनियम की धारा 40-5 (b), 40 ILCS 705/40-5 (b) और शीर्षक 8, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता की धारा 1300.510(b)(1)(A) के अनुसार समय सीमा, जिसे कार्यकारी आदेश 2020-03 के द्वारा 30 मार्च, 2020 तक विस्तारित किया गया था, को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

यह कार्यकारी आदेश, 2020-03 के कार्यकारी आदेश की धारा 1 का स्थान लेता है और कानूनी रूप से मौजूदा राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के अंतिम दिन 7 अप्रैल, 2020 के माध्यम से उपरोक्त सूचीबद्ध समय सीमा को बढ़ाता है। एक नए 30-दिवसीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के जारी होने पर, उपरोक्त सूचीबद्ध समय-सीमा को कानूनी रूप से एक नए कार्यकारी आदेश के माध्यम से 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।

अनुभाग 2. इलिनॉय कृषि विभाग को सभी शिल्प उत्पादकों, इनफ्यूज़र, और ट्रांसपोर्टर लाइसेंस आवेदनों को स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जाता है जो प्रमाणित यूएस मेल के माध्यम से 30 मार्च 2020 को या उससे पहले चिह्नित यहां प्राप्त किया गया हो:

Illinois Department of Agriculture
c/o Bureau of Medicinal Plants
P.O. Box 19281
Springfield, IL 62794-9281

यह कार्यकारी आदेश 2020-03 कार्यकारी आदेश की धारा 3 का स्थान लेता है।

अनुभाग 3. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 28 मार्च, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 28 मार्च, 2020